राजस्थान–सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.26(13)न्याय/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक 12.02.2016

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी, 2011 में बिन्दु संख्या–3 पर अंकित **राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 के नियम 5(ii) (ख)** के स्थान पर **राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 के नियम 5(ii) (क) एवं 5(ii) (ख)** पढ़ा जावे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा I.A. No. 297/2012 in Writ Petition (Civil) No. 1022/1989- All India Judges Assos. & Ors. Vs. Union of India & Ors. में दिये गये निर्णय की पालना में जारी उक्त आदेश में लिपिकीय वर्ग की सामान्य श्रेणी के पदों में स्टेनोग्राफर, पी.ए. एवं सीनियर पी.ए. भी सम्मिलित है तथा उक्त लाभ सेवा में सम्मिलित होने वाले नये प्रवेशार्थियों एवं वे कर्मचारी जो अधिकतम वेतन श्रंखला प्राप्त करने के कारण अवरूद्ध हो गये है, को भी प्राप्त होगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101600366 दिनांक 12.02.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

12.2.16

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव विधि/वित्त/मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायाल, जयपुर।
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कौशिक)
12/02/16
संयुक्त शासन सचिव